

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
1-SADULSHAHAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—


Shri **GURVEER SINGH**

of CHAK 5 LNP TEHSIL & DISTRICT SRIGANGANAGAR

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Sri Ganganagar

Date - 03-12-2023


(YOGESH SINGH DEVAN)
रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा सदुलशाहर
(एनपीएम) सादुलशाहर
Legislative Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

1 - सादुलशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री गुरवीर सिंह

चक 5 एल.एन.पी. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर


जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक्

रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - श्रीगंगानगर

दिनांक - 03-12-2023


योगेश सिंह देवल
रिटनिंग अधिकारी
विधानसभा अधिकांशहर
(विधानसभा - सादुलशहर)